कौशल विकास एवं उद्यमिता
अनुक्रमणिका

सीखने के बिन्दु

इस अध्याय को पढ़ने के बाद आप समझ सकेगें
- उद्यमिता तथा उद्यमी के कार्य एवं सफल उद्यमी के गुण
- राष्ट्रीय अर्हता रूपरेखा तथा इसकी आवश्यकता।
- कौ ाल अर्हता विकास एवं रोजगार तथा राष्ट्रीय स्तर पर किए गए प्रयास
- राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रमुख नवाचार एवं कौशल नियोजन
- राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की महत्त्वपूर्ण योजनाएँ
- रिसर्जेन्ट राजस्थान लक्ष्य एवं प्राप्ति

1. कौशल विकास एवं उद्यमिता

किसी भी देश के आर्थिक और सामाजिक विकास के लिए कौशल और ज्ञान दो प्रेरक बल हैं। वर्तमान वैश्विक माहौल में उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुख्य चुनौती में वे देश आगे हैं जिन्होनें कौशल का उच्च स्तर प्राप्त कर लिया है। किसी भी देश में कौशल विकास कार्यक्रम के लिए मुख्य रूप से युवाओं पर ही जोर होता है। इस मामले में हमारा देश अच्छी स्थिति में है। जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा उत्पादक आयु समूह में है। भारत के पास एक अतुलनीय युवा जनसंख्या है, जिससे आने वाले समय में सामाजिक आर्थिक विकास को जोरदार बढ़ावा मिलना निश्चित है। हमारे पास 60.5 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। रोजगार के लिए उपयुक्त कौशल प्राप्त करके ये युवा परिवर्तन के प्रतिनिधि हो सकते हैं तथा ना सिर्फ अपने, बल्कि दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सकते हैं। हाल ही में मंजूर की गई प्रधानमंत्री

कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) में युवाओं के कौशल प्रशिक्षण पर विशेष जोर दिया गया है। प्रशिक्षण में अन्य पहलुओं के साथ व्यवहारकुशलता और व्यवहार में परिवर्तन भी शामिल हैं। नवगठित कौशल विकास और उद्यम मंत्रालय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) के माध्यम से इस कार्यक्रम को क्रियान्वित कर रहा है। इसके तहत 24 लाख युवाओं को प्रशिक्षण के दायरे में लाने की योजना है।

कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत इंटीरियर डिजाइनिंग, फैशन डिजाईनर, कम्प्यूटर कोर्स, वास्तुविद्, टेलीविजन, फोटोग्राफी, पत्रकारिता, सौन्दर्य कला, होटल उद्योग, नर्सिंग जैसे कई विकल्प उपलब्ध हैं जिनमें कौशल विकसित कर रोजगार प्राप्त किया जा सकता है। कौशल विकास कार्यक्रम सैद्धान्तिक पाठ्यक्रमों की अपेक्षा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों पर ध्यान देकर अपना कॅरियर स्वयं की प्रतिभा से चुनने, स्वरोजगार को अपनाने, हुनर को सीखने तथा हुनर को अपनाकर स्वाबलम्बी एवं रोजगार प्रदाता बनने पर जोर देता है। कौशल विकास एवं उद्यमिता आज प्रत्येक राष्ट्र का अनिवार्य एवं प्राथमिक उत्तरदायित्व बन गया है। उदारीकरण तथा वैश्वीकरण के कारण कौशल विकास एवं उद्यमिता की भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है। आज प्रत्येक राष्ट्र कौशल विकास एवं उद्यमिता पर सर्वाधिक ध्यान दे रहा है, तथा इनके विकास हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार अनेक प्रकार की योजनाओं एवं प्रेरणाओं का संचालन कर रही हैं। व्यापक रूप में कौशल विकास एवं उद्यमिता से आशय ऐसी योग्यताओं में वृद्वि कर समाज में नए उद्यमियों को तैयार करना है, जिसके द्वारा तीव्र आर्थिक विकास के साथ–साथ सामाजिक, आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त हो सकेगा, तथा राष्ट्र का सर्वांगीण विकास संभव हो सकेगा।

उद्यमी

उद्यमी अर्थव्यवस्था में नई ऊर्जा का संचार करता है। वह उद्योग की स्थापना करता हैं साथ ही इसमें नवाचार, नियोजन तथा कुंशल प्रबंध का संचार भी करता है। उद्यमी व्यक्ति नवीन औद्योगिक इकाई की स्थापना का जोखिम उठाता है तथा आवश्यक संसाधन एकत्रित कर उसका उचित प्रबंध एवं नियंत्रण करता है। वर्तमान औद्योगिक परिदृश्य में उसे नेतृत्व, सृजनात्मकता तथा नवाचार कार्य भी करने होते है।

उद्यमी की परिभाषा

एफ एच नाइट के अनुसार – ''उद्यमी विशिष्ट व्यक्तियों का वह समूह है जो जोखिम उठाते हैं और अनिश्चितता का सामना करते हैं।''

अल्फ्रेड मार्शल के अनुसार – ''उद्यमी वह व्यक्ति है जो जोखिम उठाने का साहस करता है, जो किसी कार्य के लिए आवश्यक पूँजी एवं श्रम की व्यवस्था करता है, जो इसकी सामान्य योजना बनाता है तथा जो उसकी सूक्ष्म बातों का निरीक्षण करता है।''

पीटर एफ ड्रकर के अनुसार – ''उद्यमी सदैव परिवर्तन की खोज करता है, उस पर अनुक्रिया करता हैं और एक अवसर के रूप में उसका विदोहन करता है।''

एच डब्लयू जानसन के अनुसार – 'उद्यमी तीन आधारभूत त वों का योग है – (1) अन्वेषण (2) नवाचार एवं (3) अनुकूलन।

उद्यमी की उपर्युक्त परिभाषाओं का अध्ययन करने के पश्चात निष्कर्ष रूप में उद्यमी की परिभाषा निम्न शब्दों में दी जा सकती है – 'उद्यमी वह व्यक्ति हैं जो व्यवसाय में लाभप्रद अवसरों की खोज करता है, संसाधनों (मानवशक्ति), तकनीक, सामग्री एवं पूँजी आदि को

एकत्रित करता है, नवाचार को जन्म देता है, जोखिम वहन करता है तथा अपने चातुर्य एवं तेज दृष्टि से असाधारण परिस्थितियों का सामना करता है एवं लाभ कमाता है।

उद्यमी के कार्य (Functions of Entrepreneurs)

उद्यमी के कार्य समय, स्थान, परिस्थितियाँ, आर्थिक विकास की स्थिति, साधन एवं आकार के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। उद्यमी के कार्यों को अध्ययन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इस प्रकार समझा जा सकता हैं–

1. उपक्रम के प्रवर्तन संबंधी कार्य (Functions relating to Promotion of Entreprise)

उद्यमी का सर्वप्रथम कार्य व्यावसायिक अवसरों की जाँच करने के पश्चात् उपक्रम का प्रवर्तन या उद्यमी की स्थापना करना होता है। इस संबंध में एच एन पाठक ने कहा कि, ''अवसरों का ज्ञान करना एवं इस ज्ञान के आधार पर औद्योगिक इकाई स्थापित करना उद्यमी के दो प्रमुख कार्य हैं।

उपक्रम प्रवर्तन के संबंध में उद्यमी के निम्नलिखित कार्य हैं –

1 व्यावसायिक विचार को जन्म देना।
2 विचार से संबंधित आवश्यक तथ्यों एवं जानकारियों को प्राप्त करना, विचार की व्यावहारिकता और लाभदेयता की जाँच करना।
3 उपयुक्त स्वामित्व का चयन करना।
4 उपक्रम के आकार का निर्धारण करना।
5 उपक्रम के स्थान का निर्धारण करना।
6 संयंत्र अभिन्यास तैयार करना।
7 पूँजी की आवश्यकता का अनुमान लगाकर वित्तीय नियोजन करना।
8 पंजीयन एवं अन्य वैधानिक औपचारिकताएँ पूरी करना।
9 आवश्यक संसाधनों तथा आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था करना।

2. जोखिम वहन करने संबंधी कार्य – (Functions relating Risk-bearing)

उद्यमी का दूसरा मुख्य कार्य जोखिम–वहन करना अथवा उठाना है। व्यवसाय चाहे छोटे पैमाने पर किया जाए अथवा बड़े पैमाने पर, सभी में जोखिम अवश्य होती हैं, जिन्हें उठाए बिना व्यवसाय के संचालन की कल्पना नहीं की जा सकती है। आधुनिक व्यवसाय में विभिन्न प्रकार की जोखिमें एवं अनिश्चितताएँ बनी रहती हैं।

उद्यमी के जोखिम वहन करने संबंधी कार्य निम्न हैं–

1 माँग के उच्चावचन या परिवर्तन संबंधी जोखिम
2 रूचि फैशन एवं माँग में परिवर्तन के कारण उत्पन्न होने वाली जोखिम
3 सरकारी नीति में परिवर्तन से उत्पन्न जोखिम
4 व्यापार चक्रों से उत्पन्न जोखिम
5 व्यावसायिक वातावरण में व्यापक परिवर्तनों से उत्पन्न जोखिम।
6 मानवीय संबंधों एवं अकार्यकुशलता से उत्पन्न जोखिम।

3. प्रबंध, संगठन एवं नियंत्रण संबंधी कार्य (Functions relating Management Organization and Control)

उद्यमी को उपक्रम के प्रवर्तन कार्य के साथ–साथ उपक्रम के कुशल संचालन हेतु प्रबंध, संगठन एवं नियंत्रण संबंधी अनेक कार्य करने पड़ते हैं। उद्यमी के कुछ प्रमुख प्रबंध संगठन संबंधी कार्य निम्न हैं –

1 उपक्रम के उद्देश्य या लक्ष्यों एवं नीतियों को निश्चित करना।
2 सही व्यक्ति को सही कार्य सौंपना

3 सभी विभागों एवं उप–विभागों में समन्वय स्थापित करना।
4 संस्था में कार्यरत कर्मचारियों के मध्य कार्य के प्रति अपनत्व की भावना जागृत करना।
5 कर्मचारियों का विकास करने के लिए समुचित अभिप्रेरणा एवं उचित संप्रेषण व्यवस्था करना ।

वि ा संबंधी कार्य (Functions relating Finance)

उद्यमी का चौथा प्रमुख कार्य उपक्रम की प्रकृति एवं आकार के अनुसार आवश्यक वि ा की व्यवस्था करना है। अतः उद्यमी के वित्त संबंधी निम्नलिखित कार्य हैं–
1 विवेकपूर्ण वित्तीय नियोजन करना।
2 वित्तीय स्त्रोतों का निर्धारण करना।
3 स्थायी एवं कार्यशील पूँजी की व्यवस्था करना।
4 विभिन्न वित्तीय स्त्रोतों का तुलनात्मक अध्ययन करके अपेक्षाकृत मितव्ययी वित्तीय स्रोतों का चयन करना।

नव–प्रवर्तन संबंधी कार्य (Functions relating to Innovation)

एक विकसित अर्थव्यवस्था के संदर्भ में उद्यमी से आशय 'नव–प्रवर्तक' से लगाया जाता हैं। अतएव उद्यमी का प्रमुख कार्य नव–प्रवर्तन करना है। इस संबंध में पीटर. एफ. ड्रकर ने कहा है कि, "व्यवसाय के लिए बड़ा होते रहना उतना आवश्यक नहीं जितना कि निरंतर नवीन होते रहना।" जोसेफ शुम्पीटर एवं फ्रेंज जैसे अर्थशास्त्रियों ने नव–प्रवर्तन को उद्यमी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य माना है। उद्यमी के नव–प्रवर्तन संबंधी कार्य निम्नलिखित हैं–

1 नयी वस्तुओं की खोज व उत्पादन करना।
2 वस्तुओं की किस्म, आकार, रंग एवं डिजाइन तथा पैकिंग आदि में सुधार करना।
3 वस्तुओं के नये–नये उपयोगों की तलाश करना।
4 नये बाजारों की खोज करना।
5 मानव ससांधन प्रबधं के क्षेत्र में नये विचारों को लागू करना।

6. अन्य कार्य (Functions relating to other Activitieas)

उद्यमी के उपर्युक्त कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य भी हैं, जिन्हें इस प्रकार बताया जा सकता है :

1. नये अवसरों की खोज करना (Searching new Opportunities)– उद्यमी का कार्य केवल यही नहीं है कि वह उद्योग की स्थापना करे एवं उसका संचालन करे। उसे सदैव लाभ के नये–नये अवसरों की खोज करते रहना चाहिए।

2. विकास कार्यक्रमों में भाग लेना (Participation in Development Programmas) उद्यमी का एक यह भी कार्य है कि उद्यमिता विकास कार्यक्रम में भाग ले, उद्यमी द्वारा भाग लेने पर उद्यमिता विकास के नये–नये अवसरों की जानकारी होगी।

3. सामाजिक विकास में योगदान देना (Contributing towards Social Development) उद्यमी को समाज की रचना, सामाजिक संसाधनों का कुशल प्रयोग, रोजगार के सृजन एवं समाज के विभिन्न वर्गों के प्रति सामाजिक उ ारदायित्वों का निर्वाह करने का कार्य करना चाहिए।

सफल उद्यमी के गुण–

उद्यमी की सफलता उसके व्यक्तित्व एवं व्यवहार पर निर्भर करती है। वह विभिन्न कार्यों में पहल करता है। अतः कुशल एवं आत्म–विश्वासी होता है। इमर्सन का यह कथन सत्य है कि व्यवसाय चातुर्य का खेल है, जिसे प्रत्येक व्यक्ति नहीं खेल सकता है।' आस्कर वाइल्ड का तो यहाँ तक लिखना है कि 'साहसी या उद्यमी वे व्यक्तित्व हैं जो युग को गति

प्रदान करते हैं'' उद्यमी अपने विवेक, चार्तुय एवं निर्णयन क्षमता से व्यवसाय में उच्च उपलब्धियों को प्राप्त कर सकता है, वास्तव में उद्यमी होने का अर्थ ही विभिन्न गुणों या विशेषताओं का धनी होना है। गार्डन बी बेट्टी का मत है कि 'उद्यमी होने का आशय, व्यक्तिगत गुणों को वित्तीय संसाधनों के साथ संयोजित करना है।''
एक सफल उद्यमी के गुणों की एक निश्चित सूची बनाना कठिन है। लेकिन विभिन्न विद्वानों द्वारा बतलाये गये गुणों के आधार पर एक सफल उद्यमी में निम्नलिखित गुण होने चाहिए।

1. शारीरिक गुण – (Physical Qualities)

1. उत्तम स्वास्थ्य (Good Health)– उद्यमी का सबसे बड़ा गुण उत्तम स्वास्थ्य होना चाहिए, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही उपक्रम के अन्य कार्यों को प्रभावी ढंग से पूरा कर सकता है। इसके अलावा उत्तम स्वास्थ्य होने से कार्यक्षमता में वृद्धि भी हो जाती है।

2. प्रभावशाली व्यक्तित्व (Effective Personalities)- उद्यमी का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। उसकी अच्छी ऊँचाई, सुंदर रंग, शालीनता, गंभीरता, धीरता एवं उत्साह आदि होने चाहिए ताकि प्रत्येक व्यक्ति से प्रभावी ढंग से व्यवहार एवं बातचीत की जा सके।

3. प्रसन्न मुद्रा (Cheerful looking) – उद्यमी में प्रसन्न मुद्रा का भी गुण होना चाहिए। यदि वह प्रसन्न, हँसमुख एवं तरोताजा रहता है तो अगला पक्षकार उससे प्रभावित हो जाता है।

2. मानसिक गुण (Mental Qualitieas)

1 प्रखर बुद्धि (Sharp Mind) – उद्यमी की प्रखर अथवा तेज बुद्धि होनी चाहिए ताकि वह शीघ्रता से निर्णय ले सके, अधीनस्थों को आदेश एवं निर्देश दे सकें और आवश्यकता पड़ने पर शीघ्र जवाब दे सके।

2 सतर्कता (Alertness)– उद्यमी को व्यवसाय, बाजार तथा प्रतिस्पर्धियों की गतिविधि तथा नवीनतम परिवर्तनों के प्रति सदैव सजग रहना चाहिए। ऐसा होने पर साहसी प्रतिस्पर्धात्मक युग में अपने उपक्रम में न केवल अस्तित्व बरकरार रख सकता हैं, अपितु अन्य उपक्रमों की तुलना में वह अपनी स्थिति को अधिक सुदृढ़ बना सकता है।

3. कल्पना शक्ति (Imaginative) –उद्यमी में कल्पना शक्ति अवश्य होनी चाहिए। इसी के आधार पर साहसी उपक्रम की कल्पना करता है, उसको मूर्त रूप देता है, व्यवसाय संचालन की योजना बनाता है तथा उसी के अनुसार कार्य करता है। लेकिन उद्यमी की कल्पना शक्ति तथा उच्च महत्वाकांक्षा वास्तविक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए होनी चाहिए।

उद्यमिता विकास में एक अनूठा प्रयास

राजस्थान में उद्यमिता के विकास हेतु विश्वविद्यालय स्तर पर महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय, अजमेर में उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय प्रबन्ध केन्द्र की स्थापना 24 अप्रैल 2004 को तत्कालीन व वर्तमान मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे की प्रेरणा एवं प्रयासों से संभव हुई। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विश्वविद्यालय स्तर पर भारत में यह पहला प्रयास है। इस केन्द्र ने लगातार अपनी उपलब्धियों द्वारा इसकी महत्ता को सिद्ध किया है। देश की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकताओं के मद्देनजर छात्रों को सम्मानजनक रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके, यह केन्द्र इस दिशा में मील का पत्थर साबित हुआ है। यह केन्द्र N.I.S.B.U.D. नोएडा के भागीदार संस्थान के रूप में कार्यरत है। डॉ. बी.पी. सारस्वत इस केन्द्र के संस्थापक निदेशक हैं और अभी भी निदेशक के रूप में अपनी सेवाएँ पूर्ण कुशलता तथा सक्षम नेतृत्व द्वारा प्रदान कर रहे हैं। वर्तमान में इस केन्द्र द्वारा निम्न पाठ्यक्रमों का संचालन किया जा रहा है–

1 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (Dual Specialization)
2 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (Executive Programme)
3 मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (E-Commerce)
4 बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनीस्ट्रेशन (Entrepreneurship and Family Business Management)
इस केन्द्र द्वारा समय–समय पर लघु अवधि के पाठ्यक्रमों का संचालन भी किया जाता है, जो निम्न प्रकार हैं :–
1. उद्यमिता विकास कार्यक्रम (E.D.P)
2. उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम (E.S.D.P)
3. उद्यमिता जागरूकता शिविर (E.S.C)
विगत वर्षों की केन्द्र की गतिविधियों का विवरण निम्न प्रकार है:–
1 अभी तक 57 उद्यमिता एवं कौशल विकास कार्यक्रम सफलतापूर्वक संचालित किए जा चुके हैं जिनसे 1600 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया है।
2 इस केन्द्र द्वारा अभी तक 10 उद्यमिता विकास कार्यक्रम सम्पन्न किए जा चुके हैं, जिनमे चिकित्सा विज्ञान व अभियांत्रिकी जैसे विषयों पर भी आयोजन हुआ है।
3 विश्वविद्यालय पर महाविद्यालयों के शिक्षकों के शैक्षिक उन्नयन हेतु 21 दिवसीय तीन पुनश्चर्या पाठ्यक्रम संचालित किए जा चुके हैं।
4 महिला उद्यमिता को प्रोत्साहन देने हेतु छः विशेष कौशल आधारित कार्यक्रम सम्पन्न हो चुके हैं।
5 अब तक इस केन्द्र द्वारा उद्यमिता विषय पर 4 अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलनों का आयोजन किया जा चुका है। इनका आयोजन सन 2005, 2007, 2011 व 2014 में किया गया।

राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा
National Skills Qualifications framework

राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा (एन.एस.क्यू.ए.) ज्ञान,कौशल, और अभिरूचि के स्तरों की अर्हता को सुनियोजित करता है। ये स्तर शिक्षण परिणाम के सन्दर्भ में निर्धारित किए जाते हैं। शिक्षण – परिणामों को औपचारिक, गैर– औपचारिक, या अनौपचारिक माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है। प्रशिक्षु (अप्रेंटिस) के लिए शिक्षण परिणाम स्तर धारित करना आवश्यक है। शिक्षण परिणाम यह व्यक्त करता है कि प्रशिक्षु किसी शिक्षण प्रकिया को पूर्ण होने पर क्या कुछ जानता है, समझता है और क्या करने में समर्थ है?इस प्रकार शिक्षण परिणाम उसके ज्ञान, कौशल और सक्षमता के सन्दर्भ में प्रकट किया जाता है। इस सन्दर्भ में राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा एक गुणव ाा आश्वासन रूपरेखा है। यह एक राष्ट्रीय स्तर पर समेकित शिक्षा तथा सक्षमता पर आधारित रूपरेखा है जिससे व्यावसायिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण दोनों के भीतर तथा व्यावसायिक शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण,सामान्य शिक्षा और तकनीकी शिक्षा के बीच अनेक नए अवसर उपलब्ध होंगे। एन.एस.क्यू.ए. के परिणाम स्वरूप शिक्षण का एक स्तर दूसरे उच्च स्तर से जुड़ेगा। इससे व्यक्ति वाँछित योग्यता तथा सक्षमता स्तर प्राप्त करके रोजगार के लिए उपयुक्त हो सकेगा। भविष्य में अपनी योग्यता तथा सक्षमता को उन्नत करने के लिए अतिरिक्त कौशल प्राप्ति के अवसर भी उपलब्ध होंगे। उपर्युक्त प्रयासों द्वारा प्रशिक्षुओं को अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर कौशल प्रवीणता प्राप्त सभंव हो सकेगी। एन.एस.क्यू.ए. द्वारा विभिन्न शिक्षण स्तरों पर कौशल प्रवीणता को मान्यता प्रदान करने के राष्ट्रीय सिद्धान्त विकसित किए जाने की योजना है जिससे हमारे शिक्षण स्तरों में अन्तरराष्ट्रीय स्तरों की समतुल्यता प्राप्त की जा सकेगी। साथ ही साथ इससे आजीवन शिक्षण कौशल विकास को बढ़ावा देने के उ ारो ार अवसर उपलब्ध हो

सकेंगे। भारत सरकार का राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा विकसित करने का यह ध्येय है कि जिससे रोजगार के विभिन्न क्षेत्रों के बीच कौशल विकास के लिए एक पारदर्शी, जवाबदेह और विश्वसनीय तंत्र स्थापित हो।

भारत में अर्हता रूपरेखा की आवश्यकता–

वर्तमान में भारत में सामान्य शिक्षा और व्यावसायिक शिक्षा तथा प्रशिक्षण अलग–अलग कार्य कर रहे हैं। इन सभी के बीच विचारों का बहुत कम आदान–प्रदान होता है। व्यावसायिक शिक्षा से सामान्य शिक्षा एवं सामान्य शिक्षा से व्यावसायिक शिक्षा की ओर जाना सुसाध्य बनाने के लिए भारत के लिए अर्हता रूपरेखा अर्थात् राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा को और अधिक बोधगम्य और पारद र्ी बनाने की योजना है। राष्ट्रीय कौ ाल अर्हता रूपरेखा की आव यकता को निम्न बिन्दुओं से समझा जा सकता है–

■ अभी तक शिक्षा और प्रशिक्षण का केन्द्र अधिकांश निविष्टि पर रहा है।एन.एस.क्यू.ए. परिणाम आधारित दृष्टिकोण पर केन्द्रित है। कोई व्यक्ति किसी शिक्षण प्रकिया के पूर्ण होने पर क्या जानता है, समझता है तथा क्या करने में समर्थ है?यह आसानी से इससे पता लग सकेगा।
■ व्यावसायिक शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में अध्ययन और उन्नयन हेतु सुस्पष्ट व्यवस्था तथा गतिशीलता की आवश्यकता है। जिससे संस्थान, विद्यार्थी और नियोक्ता को यह जानकारी हो सके कि विशेष पाठ्यक्रम को शुरू करने के बाद वे क्या कर सकते हैं?
■ देश के सभी संस्थानों में विविध अर्हताओं से जुड़े परिणामों में एकरूपता नहीं है। प्रत्येक संस्थान की पाठ्यक्रम अवधि, पाठ्यकम, प्रवेश नियम तथा उपाधि भी अलग–अलग हैं। जिससे देश के अलग–अलग हिस्सों में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा तथा डिग्री की समकक्षता को स्थापित करने में समस्या आती है। इसके परिणामस्वरूप विद्याथियों की रोजगार अर्हता और गति ीलता पर प्रभाव पड़ता है। एन.एस.क्यू.ए. इन सभी दि ाओं में समानता तथा एकरूपता के लिए कार्य करेगा।
■ अधिकतर भारतीय अर्हताएँ अन्तरराष्ट्रीय तौर पर स्वीकार नहीं की जा जाती हैं। इससे उन विद्यार्थियों और कामगारों के समक्ष समस्या उत्पन्न हो जाती है जो विदेशों में रोजगार अवसरों को खोजते हैं, उन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मजबूरन उन्हें इन अर्हताओं को, जो उस मेजबान देश में स्वीकृत की जा जाती हैं, को हासिल करने के लिए फिर से पाठ्यकम करना पड़ता है। एन.एस.क्यू.ए. भारतीय अर्हताओं को संबंधित द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों के अनुसार अन्तरराष्ट्रीय अर्हताओं के समकक्ष लाने में सहायक होगा।
■ इससे भारतीय शिक्षा और प्रशिक्षण प्रणाली की विविधता को आत्मसात करने पर बल दिया जाना संभव होगा।
■ इससे प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा और प्रशिक्षण द्वारा उन्नति तथा कौशलता वृद्धि का अवसर उपलब्ध होगा।
■ शिक्षा और प्रशिक्षण के राष्ट्रीय विनियामक और गुणव ाा आश्वासन का आधार तैयार होगा।
■ भारतीय अर्हताओं की तुलनीयता तथा महत्व की अधिक मान्यता के जरिए एन.एस.क्यू.ए. अनुकूलन अर्हताओं के साथ लोगों के राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय गतिशीलता में वृद्धि व सहयोग प्रवृति विकसित करेगा। एन.एस.क्यू.ए. अन्य देशों के साथ भारतीय कौशल अर्हता स्तरों के संधि और अनुरूपण के उपाय उपलब्ध कराएगा। जिससे भारतीय कामगारों को सहूलियत होगी।

■ पूर्व प्रशिक्षण की मान्यता (आर.पी.एल.)एन.एस.क्यू.ए. का अति महत्वपूर्ण सम्बद्ध कार्य है, विशेष रूप से भारतीय सन्दर्भ में जहाँ अधिकतर कार्यबल ने अनौपचारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है। एन.एस.क्यू.ए. उन व्यक्यिों की मदद करेगा जिन्होनें इस प्रशिक्षण की मान्यता प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण को अनौपचारिक रूप से प्राप्त किया है।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत मुख्य रूप से श्रम बाजार में पहली बार प्रवेश कर रहे लोगों पर जोर दिया जाएगा, विशेषकर कक्षा 10 व 12 के दौरान स्कूल छोड़ गये छात्रों पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। योजना का क्रियान्वयन एनएसडीसी के प्रशिक्षण साझेदारों द्वारा किया जायेगा। वर्तमान में लगभग 2300 केन्द्रों के एन.एस.डी.सी. के 187 प्रशिक्षण साझेदार हैं। इसके अलावा केन्द्र व राज्य सरकारों से संबंधित प्रशिक्षण प्रदाता संस्थाओं को भी इस योजना के तहत प्रशिक्षण के लिए जोड़ा जाएगा। योजना के तहत एक कौशल विकास प्रबन्धन प्रणाली (एस.डी.एम.एस.) भी तैयार की गई हैं। जो सभी प्रशिक्षण केन्द्रों के विवरणों और प्रशिक्षण व पाठयक्रम की गुणवत्ता की जाँच करेगी एवं उन्हें दर्ज भी करेगी। इसके अन्तर्गत लगभग 1120 करोड़ रूपये के व्यय से 14 लाख युवाओं को प्रशिक्षित किया जाऐगा और इसमें पूर्व शिक्षण–प्रशिक्षण को चिह्नित करने पर विशेष जोर दिया जाऐगा तथा इस मद पर 220 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त युवाओं को जुटाने तथा जागरूकता फैलाने के लिए 67 करोड़ रूपये का अतिरिक्त प्रावधान भी किया गया है। कौशल व उद्यम विकास वर्तमान सरकार की उच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। नवगठित कौशल व उद्यम विकास मंत्रालय की ''मेक इन इण्डिया'' अभियान के लक्ष्यों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका है, यह अभियान भारत को एक विनिर्माण केन्द्र के रूप में परिवर्तित करने के रूप में अहम पहल है।

इस दिशा में उठाए गए सभी उपायों को शामिल करने के लिए एक नयी राष्ट्रीय कौशल व उद्यम विकास नीति भी तैयार की गयी है। इस नीति के जरिये उच्च गुणवत्ता वाले कार्यबल के साथ विकास को बढ़ावा देने की रूप–रेखा तैयार की जा रही है। इस दिशा में प्रयास मिशन के तौर पर किया जा रहा है। राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन के तहत तीन संस्थान कार्य कर रहे हैं।

1. राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में कौशल विकास प्रयासों को नीतिगत दिशा दे रही है और उनकी समीक्षा भी कर रही हैं।
2. नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय प्रधानमंत्री की परिषद, नियमों को लागू करने के लिए रणनीतियों पर कार्य कर रहा है।
3. एन.एस.डी.सी. एक गैर लाभ कम्पनी है और गैर संगठित क्षेत्र समेत श्रम बाजार के लिए कौशल प्रशिक्षण की जरूरतों को पूरा कर रही है। भारत ने विश्व में सबसे तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था के रूप में अपनी पहचान बना ली है उम्मीद है कि भारत शीघ्र ही विश्व की तीन सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो जाएगा। वर्ष 2020 तक भारत विश्व का तीसरा सबसे बड़ा विनिर्माण कन्द्रे भी बन जाएगा।

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एन.एस.डी.सी.) भारत में सार्वजनिक निजी भागीदारी की

अपनी तरह की एक अनठूी सस्ंथा है। इस निगम का लक्ष्य भारत में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। निगम उद्यमियों, कंपनियों और कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने वाले संगठनों को धन उपलब्ध कराने के माध्यम से कौशल विकास में एक उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम का गठन कंपनी अधिनियम की धारा 25 के तहत वित्त मंत्रालय द्वारा एक गैर लाभ वाली कंपनी के रूप में किया गया है। इसका इक्विटी आधार 10 करोड़ रूपये का है जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 49 प्रतिशत और शेष 51 प्रतिशत निजी क्षेत्र का भाग है।

विजन (Vision Statement)

राष्ट्रीय कौशल विकास निगम की स्थापना एक कौशल विकास मिशन के रूप में सभी क्षेत्रों में कुशल श्रम शक्ति की माँग को पूरा करने, और कौशल की माँग और आपूर्ति के बीच मौजूदा खाई को पाटने के उद्देश्य से की गयी है।

मिशन (Mission Statement)

■ महत्वपूर्ण उद्योगों की भागीदारी के माध्यम से कौशल को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप उन्नत बनाना है और मानकों, पाठ्यक्रमों और गुणवत्ता के साथ आवश्यक ढाँचे का विकास करना है।
■ सार्वजनिक निजी भागीदारी (पी.पी.पी.) मॉडल के माध्यम से कौशल विकास के लिए निजी क्षेत्र की पहल को उन्नत करना, सहयोग देना और समन्वय स्थापित करना है।
■ निजी क्षेत्र से महत्वपूर्ण परिचालन एवं वि ीय भागीदारी के लिए प्रयास करना।
■ समाज के वंचित वर्गों और देश के पिछड़े क्षेत्रों पर ध्यान केन्द्रित करना, ताकि उन्हें गरीबी रेखा से बाहर निकाला जा सके।
■ वित्त पोषण प्रदान कर एक "बाजार निर्माता" की भूमिका निभाना, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ बाजार तंत्र अप्रभावी है।

उद्देश्य (Objectives)

एनएसडीसी का गठन मुख्य रूप से कौशल विकास कार्यक्रमों में निजी क्षेत्र की पहल को बढ़ावा देने तथा वर्ष 2022 तक भारत में 500 मिलियन लोगों को स्किलिंग/अप–स्किलिंग के समग्र लक्ष्य (30 प्रतिशत) को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण योगदान देना, और धन उपलब्ध कराना है।

एनएसडीसी को एक संरचना और प्रशासन मॉडल की आवश्यकता है, जो इसे स्वायत्तता, एक निश्चित आकार और निरंतरता प्रदान करे। इस निगम को सुचारू रूप से संचालित करने के लिए निम्नलिखित कार्य प्रणाली बनायी गयी है:–

1. राष्ट्रीय कौशल विकास कोष
2. निर्देशक मण्डल
3. बोर्ड उप समितियाँ
4. कार्यकारी परिषद

एनएसडीसी व्यवसायिक प्रशिक्षण के लिए निधि प्रदान करने के आवेदनों को चुनने के लिए एक विकसित और चरणबद्व प्रक्रिया अपनाती है। इस निगम द्वारा क्षेत्र कौशल परिषदों (एस.एस.सी.) की स्थापना की गई है। एसएससी एक स्वायत्त निकाय के रूप में कार्य करती

है। एसएससी उद्योग क्षेत्र के लिए मौजूदा व्यावसायिक शिक्षा प्रणाली के पूरक के रूप में प्रयासरत है।

गतिविधियाँ

1. अनुसंधान का आयोजन :– उद्योग क्षेत्र के लिए कौशल सूची डेटाबेस का निर्माण, कौशल विकास में अंतरराष्ट्रीय प्रवृत्तियों की समीक्षा करना और कौशल अंतर की पहचान करना और इस अंतर को पाटने के लिए प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण देना।
2. वितरण तंत्र :– प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने हेतु शैक्षिक संस्थानों से सहयोग ताकि उद्योगों में कार्यरत कर्मचारियों का कौशल उन्नयन हो।
3. गुणवत्ता आश्वासनः– एक मजबूत गुणव ाा प्रमाणीकरण और मान्यता प्रणाली की स्थापना करना।

क्षेत्र कौशल परिषदों (एस.एस.सी.) के महत्वपूर्ण कार्य

अनुसंधान	प्रतिपादन प्रणाली	गुणवत्ता आश्वासन
कौशल डेटाबेस का विकास प्रमाणीकरण क्षेत्र विशेष के योग्यता मानकों का विकास उद्योगों को कॅरियर मार्गदर्शन अंतरराष्ट्रीय मानकों का संदर्भ मानदंड तैयार मानव संसाधन की उत्पादकता का विश्लेषण उचित शिक्षण प्रौद्योगिकी की पहचान	मौजूदा पाठ्यक्रम का अध्ययन और विकास उद्योग और संस्थानों में प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण उद्योगों में मौजूदा कर्मचारियों का प्रशिक्षण प्रशिक्षण प्रणाली का विकास ——— ———	सुव्यवस्थित प्रमाणीकरण प्रक्रिया की स्थापना कर्मचारियों के लिए प्रमाणन परीक्षण प्रशिक्षकों के लिए प्रमाणन परीक्षण क्षेत्र विशेष के संबंधित पाठ्यक्रमों का प्रत्यापन ——— ———

टिप्पणी :– संदर्भ : प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना वेबसाइट http://pib.nic.in/

सक्षम भारत – एजूकेटिंग एंड स्किलिंग

1. स्किल इंडिया

स्किल इंडिया के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम :–

- कौशल विकास के लिए अलग मंत्रालय का सृजन
- राष्ट्रीय कौशल मिशन एवं राष्ट्रीय कौशल विकास नीति
- 76 लाख युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना
- स्किल प्रोग्राम के स्किल सर्टिफिकेशन को विद्यालय के अन्तर्गत शैक्षिक समानता प्रदान करना।
- प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना– रूपये 1500 करोड़ का योजना परिव्यय,
- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना– 3 वर्षों में 10 लाख ग्रामीण युवकों

को प्रशिक्षित करना,
■ ऑन–द–जॉब ट्रेनिंग के लिए ज्यादा अवसर देने के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट में संशोधन,
■ 11000 से ज्यादा आईटीआई के लिए ई–सर्टिफिकेट और सभी जगह से सूचना एकत्र करना जैसी विशेषताओं के साथ समर्पित पोर्टल का शुभारम्भ।

2. एजूकेट इंडिया

एजूकेट इंडिया के लिए भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमः–

■ SWAYAM - ऑनलाइन शिक्षा को सक्षम बनाने के लिए मेसिव ओपेन ऑनलाइन कोर्सेज (MOOCs) पर बल देना,
■ शिक्षण की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए – शिक्षक प्रशिक्षण के लिए पंडित मदन मोहन मालवीय मिशन का शुभारम्भ,
■ UDAAN - कन्याओं की शिक्षा के विकास के लिए समर्पित योजना,
■ नेशनल ई–लाइब्रेरी – शैक्षिक सामग्री तथा ज्ञान के स्त्रोतों तक व्यापक पहुँच,
■ GIAN (ग्लोबल इनिशिएटिव ऑफ एकेडमिक नेटवर्क) – समूचे विश्व के अग्रणी शैक्षिक संस्थाओं के श्रेष्ठ शिक्षकों को भारत में पढ़ाने के लिए लाना,
■ 5 नई IITs एवं 6 नए IIMs के साथ विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्टता प्राप्त अनेक संस्थान स्थापित करने की योजना,
■ नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल – केन्द्र सरकार की योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए छात्रों के लिए एकीकृत प्लेटफॉर्म,
■ प्रधानमंत्री विद्यालक्ष्मी कार्यक्रम – छात्रों के लिए ऋण उपलब्ध करवाने के लिए व्यापक कार्यक्रम।

कन्वर्जेन्स योजना (राजस्थान)

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कन्वर्जेन्स स्कीम एवं स्पेशल प्रोजेक्ट आरम्भ किए गए हैं। कन्वर्जेन्स स्कीम के अर्न्तगत 8 विभागों क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण एवं आजीविका विकास परिषद्, जनजाति क्षेत्रीय विकास, श्रम विभाग, अल्पसंख्यक विभाग एवं वन विभाग के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कन्वरर्जेस के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2015 तक 16360 आशार्थियों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

कन्वर्जेन्स प्रोत्साहन (Convergence Initiative)

राज्य सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न विभागों द्वारा संचालित समस्त लघु अवधि कौशल विकास योजनाओं को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की रोजगारपरक कौशल प्रशिक्षण योजना (E.L.S.T.P.) के माध्यम से ही संचालित किए जाने हेतु अभिसरण योजना लागू की गई है। कन्वर्जेन्स योजना के अन्तर्गत 8 विभाग क्रमशः सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, स्वायत्त शासन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, जनजाति क्षेत्रीय विकास परिषद्, श्रम विभाग, अल्प संख्यक विभाग एवं वन विभाग के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रमों को निगम द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। कन्वर्जेन्स योजना के अन्तर्गत माह दिसम्बर 2015 तक 16360 आशार्थियों को कौशल प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया है।

राज्य सरकार द्वारा किये गये प्रमुख नवाचार

1. परिधान विनिर्माण एवं खुदरा परिचालन विषय पर प्रशिक्षण हेतु आर.एस.एल.डी.सी. ने निट के प्रस्ताव को अनुमोदित किया है। जिसके अन्तर्गत जयपुर एवं जोधपुर में पायलेट प्रोजेक्ट के तहत युवाओं को प्रशिक्षित किया जाता है।
2. विशेष योग्यजन व्यक्तियों के लिए उदयपुर में आजीविका ब्यूरो (एन.जी.ओ.) के माध्यम से प्रशिक्षण दिया जाता है।
3. टेरा कोटा की कलाकृतियो के प्रशिक्षण हेतु आर.एस.एल.डी.सी. ने "जय भैरव कल्याण समिति" बीकानेर के सहयोग से बीकानेर सीमा क्षेत्र के कोलायत में मिट्टी के कारीगरों के लिए कौशल विकास के विभिन्न पाठ्यक्रम तथा हस्तशिल्प, टेराकोटा एवं मिट्टी के बर्तन के निर्माण कार्य का प्रशिक्षण दिया जाता है।
4. आधुनिक डिजाईन, खुदरा संचार, नीले रंग के मिट्टी के बर्तनों के कारीगरों की साक्षरता के लिए कोट जेवर दूदू में प्रशिक्षण दिया जाता है।
5. झालावाड़ जिले के आई.टी.आई. परिसर में एक उत्कृष्टता केन्द्र में केटरपिलर द्वारा कौशल नवाचार एवं उद्यम विकास का प्रशिक्षण दिया जाता है।
6. विभिन्न जिलों में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी युवाओं तक पहुँचाने के लिए एक कौशल पंचाँग का निर्माण आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा किया गया है।

2. कौशल नियोजन व उद्यमिता
प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

परिचय

राज्य में डिप्लोमा स्तर की तकनीकी शिक्षा के विकास व संचालन हेतु राज्य सरकार द्वारा 17 अगस्त 1956 को प्राविधिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय जोधपुर में है। निदेशालय में निदेशक(शिक्षा) (पॉलीटेक्नीक हेतु) व निदेशक (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.हेतु) कार्यरत हैं। राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक 04.08.2015 के अनुसार राजस्थान में युवाओं के लिये कौशल प्रशिक्षण, नियोजन व उद्यमिता से सम्बन्धित विभिन्न योजनाओं/ कार्यक्रमों/ अभियानों/मिशनों/अधिनियमों व नियमों के क्रियान्वयन–नियोजन विभाग, तकनीकी शिक्षा (प्रशिक्षण)विभाग तथा राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। वर्ष 2015–16 के पैरा संख्या 143 में की बजट घोषणा के क्रियान्वयन में, दिनांक 23 मई, 2015 द्वारा राज्य मंत्रिमण्डल ने कौशल प्रशिक्षण एंव नियोजन कार्यक्रमों को बेहतर समन्वय के साथ गति देने के लिये "Department of Skills, Employment and Entrepreneurship" (कौशल, नियोजन व उद्यमिता विभाग)का गठन करने का अनुमोदन किया है। इसके अनुसार कौशल, नियोजन एवं उद्यमिता के संबंध में विभिन्न कार्यो एवं कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के लिए कौशल, नियोजन एंव उद्यमिता विभाग की प्रशासनिक स्थिति स्वतंत्र रूप से है, जिसके विभागाध्यक्ष 'आयुक्त' कौशल, नियोजन व उद्यमिता हैं तथा श्रम विभाग के प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव विभागीय प्रशासनिक सचिव हैं। इस आयुक्तालय का मुख्यालय, जयपुर के झालाना संस्थानिक क्षेत्र स्थित कौशल भवन परिसर में है।

औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता का विवरण(सत्र 2015–16)

पाठ्यक्रम	राजकीय संस्थाएँ		निजी संस्थाएँ		योग	
	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता	संस्थाएँ	प्रवेश क्षमता
आई.टी.आई.	223	72979	1598	271849	1821	344828

3 उत्पादन केन्द्र व एक आर.आई.केन्द्र को क्रमोन्नत कर नियमित आई.टी.आई. व शेष 85 स्थानों पर नये आई.टी.आई. खोलने की प्रक्रिया यथा भवन निर्माण, भूमि आवंटन का कार्य चल रहा है।

दस्तकार प्रशिक्षण योजना
प्राविधिक शिक्षा (प्रशिक्षण) (आई.टी.आई.)

राज्य में दस्तकार प्रशिक्षण की सुविधा उपलब्ध कराने हेतु वर्ष 2015–16 में कुल 223 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं। इन 223 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत व्यवसायों की कुल प्रवेश क्षमता 72979 है। उक्त सस्थानों में 09 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान स्वीकृत हैं, जिनमें से 8 राजकीय महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान क्रमशः जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, जोधपुर, कोटा, बीकानेर, अलवर तथा उदयपुर पूर्व से ही संचालित हैं तथा बजट घोषणा वर्ष 2012–13 में 01 संस्थान महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बाँसवाड़ा की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई है। बहुक्षेत्रीय विकास योजना के अन्तर्गत महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, टोंक हेतु व्यवसाय प्रारम्भ करने की भी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की गई हैं। इसके अतिरिक्त 1598 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भी संचालित किए जा रहे हैं, जिसमें कुल प्रवेश क्षमता 271849 है।

राजकीय एवं निजी औद्योगिक प्रशिक्षण सस्थानों में 40 इंजीनियरिंग व्यवसाय एवं 36 नॉन–इंजीनियरिंग व्यवसाय सहित कुल 76 विभिन्न व्यवसाय स्वीकृत हैं।

वर्ष 2015–16 में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश क्षमता :

1. राज्य में कुल 223 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में कुल प्रवेश क्षमता 72979 है, जिनमें राजकीय आद्यौगिक प्रशिक्षण सस्थानों में द्वितीय पारी में 1424 यूनिट में 32190 स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्रशिक्षण स्थान स्वीकृत हैं ।
2. दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत संस्थान में स्व–वित्तपोषित आधार (Self-financing basis) पर द्वितीय एककों के संचालन की योजना।

उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग हेतु तकनीकी शिक्षा विभाग द्वारा दस्तकार प्रशिक्षण योजना के तहत सचांलित प्रशिक्षण इकाईयों के स्वीकृत स्थानों में वृद्धि हेतु एक योजना प्रारम्भ की गई है।

इसके तहत जिन स्थानों पर व्यवसाय की एक–एक इकाईयाँ संचालित हैं, उनमें संस्थान विकासकोष के माध्यम से हस्त–औजार क्रय कर द्वितीय ईकाईयाँ संचालित करने की अनुमति प्रदान की गई है। योजना वर्ष 2007–08 में चुनिंदा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में संचालित की गई। वर्तमान में 212 संस्थानों में 1424 यूनिट में 32190 स्थान स्वीकृत हैं।

राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की अन्य योजनाएँ

1. परिधान प्रशिक्षण डिजाइन सेंटर (A.T.D.C.) :– आर.एस.एल.डी.सी. एवं ATDC के मध्य प्रति प्रशिक्षणार्थी 2400 रूपये की गैप फंडिंग हेतु एमओयू हस्ताक्षरित हुआ है। इसके अन्तर्गत ATDC द्वारा प्रशिक्षित किये जाने वाले प्रशिक्षणार्थियों हेतु आर.एस.एल.डी.सी.

द्वारा 2400 रूपये प्रति प्रशिक्षणार्थी एटीडीसी को भुगतान किया जा रहा है। ATDC द्वारा 31 जनवरी 2016 तक कुल 1400 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण उपलब्ध करा दिया गया है।

2. विशेष योग्यजनों हेतु योजना :– विशेष योग्यजन के प्रशिक्षण एवं रोजगार/स्वरोजगार हेतु निगम द्वारा विशेष योजना निर्मित की गई है जिसके अर्न्तगत सूचीबद्व प्रशिक्षण प्रदाता के द्वारा 64 विशेष योग्यजन को उदयपुर में प्रशिक्षित किया गया है। इस क्रम में निगम द्वारा नयी गाइडलाइन तैयार कर अभी तीन प्रशिक्षणप्रदाता एजेन्सियों क्रमशः लेन केलर, राजस्थान नेत्रहीन कल्याण संघ एवं सार्थक एजुकेशन ट्रस्ट के साथ MoU पारित किया गया हैं जिनके द्वारा 350 विशेष योग्यजनों का प्रशिक्षण जयपुर, भीलवाड़ा एवं चुरू में किया जाएगा।

3. बायो मेडिकल अकादमी :– राज्य में चिकित्सा महाविद्यालय से संबंधित चिकित्सालयों में निजी जन–सहभागिता के आधार पर बायो मेडिकल अकादमी की स्थापना की गई है, इस हेतु आर.एस.एल.डी.सी. एवं चिकित्सा विभाग के मध्य MoU किया गया है। प्रथम चरण में झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज झालावाड़ द्वारा EOI (Expression of interest) जारी कर Biomedical Academy (limited liability partnership) के अन्तर्गत दिनांक 01 दिसम्बर 2015 को MoU किया गया है। मेडिकल कॉलेज झालावाड़ में ीघ्र ही प्रशिक्षण आरम्भ कर दिया जायेगा।

4. केटरपिलर उत्कृष्टता का केन्द्र :– केटरपिलर, आर.एस.एल.डी.सी. एवं तकनीकी शिक्षा विभाग (प्रशिक्षण) के मध्य झालावाड़ आईटीआई को अपग्रेड कर विश्वस्तरीय आईटीआई में परिवर्तित कर प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाने हेतु MoU हस्ताक्षरित किया गया। माननीय मुख्यमंत्री महोदया द्वारा इस केन्द्र का उद्घाटन दिनांक 23 दिसम्बर 2015 को झालावाड़ में किया गया। इस आई.टी.आई. परिसर को उत्कृष्टता का केन्द्र (Center of Excellence) भी बनाया जाएगा। इसके अर्न्तगत मृदा– धरती हस्तान्तरण उपकरण (Earth Moving Equipments) के संचालन रखरखाव, निर्माण एवं माइनिंग सेक्टर्स में कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

5. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा कौशल प्रशिक्षण के क्षेत्र में निम्न विशेष पहल (Special Initiative) की जा रही हैं:–

1. उद्योग आधारित **EOI (EXPRESSION OF INTEREST)** :– आर.एस.एल.डी.सी. द्वारा इंडस्ट्रीज पार्टनरशिप हेतु पृथक EOI (EXPRESSION OF INTEREST) का प्रकाशन एवं इंडस्ट्रीज के साथ उनकी यूनिट में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा हैं।

2. सर्किट हाउस स्टाफ हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम :– सरकार द्वारा सर्किट हाउस, डाक बंगलों व अन्य कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए हॉस्पिटेलिटी में कौशल प्रशिक्षण/जलपान कार्यप्रणाली के संदर्भ में एक प्रारंभिक (पायलेट) परियोजना बनायी गयी, जिसे ग्रेड सामान्य प्रशासन विभाग अधिकारियों और अन्य संबंधित के साथ विचार विमर्श के पश्चात अन्तिम रूप दिया गया। जयपुर के सर्किट हाउस में 25 सरकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण, प्रशिक्षण प्रदाता गुजरात अम्बुजा फाउंडेशन के माध्यम से दिया गया।

3. जयपुर सेंट्रल जेल में कैदियों को प्रशिक्षण :–आरएसएलडीसी द्वारा जेल बंदियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को मंजूरी दी गई है। वर्मी कल्चर और वर्मी खाद के प्रारंभिक बैच पूर्ण हो चुके हैं।

4. जयपुर किशोर गृह में युवाओं की ट्रेनिंग :– सरकारी बालिका गृह की युवतियों के लिये एक पायलेट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है।

5. सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ एमओयू ज्ञापन :– तृतीय पक्ष आकलन एवं प्रमाणन को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न सेक्टर स्किल काउंसिल के साथ निगम द्वारा एमओयू हस्ताक्षरित किये जा रहे हैं। वर्तमान में ब्यटूी एंव वेलनेस एसएससी, जेम्स एडं ज्वेलरी,

ट्यूरिज्म एवं हॉस्पीटेलिटी, हैल्थकेयर, अपेरिल, और होम फर्निशिंग, स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, और सेक्यूरिटी क्षेत्र के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किऐ गए हैं।

6. नवीन एवं अपग्रेडेड एम.आई.एस सिस्टम तैयार किया गया हैं :– 11 अगस्त 2015 को राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा नया एमआइएस (MIS) एकीकृत योजना प्रबंधन प्रणाली लांच किया गया। यह नवीन एमआइएस (MIS) विभिन्न योजनाएँ यथा ELSTP, RSTP, DDU-GKY, VTP, अन्य विशेष परियोजनाओं की स्थिति एक ही पोर्टल पर उपलब्ध करने हेतु निर्मित किया गया है। यह नवीन एमआइएस (MIS) तंत्र राजस्थान सरकार की कौशल विकास योजना कार्यक्रम के तहत भाग लेने वाले सभी विभागों के लिए एक कॉमन इंटरफेस उपलब्ध करवाता है।

7. स्किल आईकॉन (Skill Icon) :– प्रशिक्षित युवाओं एवं अन्य हितधारकों के प्रयास की पहचान हेतु राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा 'स्किल आइकन' कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रथम स्किल आईकॉन ऑफ द मंथ को माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती वसुंधरा राजे द्वारा अप्रैल 2015 में सम्मानित किया गया। अब तक 9 अभ्यर्थियों को स्किल आईकॉन ऑफ द मंथ से सम्मानित किया जा चुका है।

8. ई–मित्र साझेदारी :– निगम द्वारा ई–मित्र के साथ साझेदारी की गयी है जिसके अन्तर्गत कौशल प्रशिक्षण प्राप्त करने के इच्छुक युवाओं का पंजीकरण ई–मित्र कियोस्क पर किया जाएगा। इस हेतु ई–मित्र रू. 20/– की फीस लेगा, पंजीकरण प्रमाण पत्र की हार्ड कॉपी प्रदान करेगा एवं प्रशिक्षण हेतु वांछित सूचना भी उपलब्ध कराएगा।

9. स्किल कलैडंर :– विभिन्न जिलों में चल रहे कौशल विकास कार्यक्रमों की जानकारी युवकों तक पहुंचाने के लिए एक कौशल पंचाँग का निर्माण कर राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम की वेबसाइट पर अपलोड किया गया है जो प्रतिमाह अपडेट किया जाता है, इससे अत्यधिक प्रचार प्रसार हुआ है। कौशल पंचाँग द्वारा आशार्थी आगामी माहों में शुरू होने वाले कौशल प्रशिक्षणों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

10. विश्व युवा कौशल दिवस समारोह 15 जुलाई 2015 :– राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रथम युवा विश्व कौशल दिवस का आयोजन 15 जुलाई 2015 को राज्य के सभी जिलों में किया गया। प्रमुख कार्यक्रम HCM-RIPA में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता माननीय उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री राजस्थान सरकार द्वारा की गई। राज्य के प्रत्येक जिलों में रैलियों एवं अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया ताकि लोगों को जागरूक किया जा सके।

11. जिला कलक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय बैठक :– जिला स्तरीय कौशल एवं आजीविका विकास समिति की बैठक का आयोजन जिला कलेक्टर/ ए.डी.एम. की अध्यक्षता में प्रत्येक जिले में कौशल विकास कार्यक्रमों का निरीक्षण करने के लिए किया जा रहा है। इन बैठकों का आयोजन प्रशिक्षण कार्यक्रमों को सुगम बनाने हेतु एवं स्थानीय भागीदारों की पहचान करने एवं प्रगति की समीक्षा करने के लिए किया जा रहा है।

12. छबड़ा बाराँ में एल. एंड. टी. द्वारा निर्माण क्षेत्र का प्रशिक्षण :– निर्माण क्षेत्र में प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए निगम द्वारा एक त्रिपक्षीय एमओयू एल एंड टी, तकनीकी शिक्षा विभाग एवं आर.एस.एल.डी.सी. के मध्य माह दिसम्बर में कर लिया गया है। एल एंड टी प्रारंभ में निर्माण क्षेत्र के तीन पाठ्यक्रमों को सरकारी आईटीआई के परिसर में प्रारभं करेगाा।

13. राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ :–निगम के परिसर में ''राजस्थान प्रवासी श्रमिक कल्याण प्रकोष्ठ'' का गठन किया गया है। इस प्रकोष्ठ का उद्देश्य प्रवासी कामगारों के कल्याण एवं राज्य के वे युवा जो विदेशों में रोजगाार पाने के इच्छुक हैं को समर्थन एवं सेवाएँ प्रदान करना है। प्रकोष्ठ के गठनबाबत सूचना एवं इस कार्यक्षेत्र से संबंधित विवरण भारतीय उच्चायुक्त – इराक, यमन, कतर, सउदी अरब,अफगानिस्तान, यु.ए. ई., जार्डन एवं

मलेशिया को सूचित कर राजस्थान मूल के प्रवासी कामगारों को अपेक्षित सहायता प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

3. रिसर्जेंट राजस्थान

राजस्थान राज्य, देश के सबसे तीव्र विकास करने वाले राज्य के रूप में पिछले कुछ सालों में उभर कर आया है। राजस्थान के सकल घरेलू उत्पाद में औद्योगिक क्षेत्र का योगदान निरन्तर बढ़ रहा है। वर्ष 2014–15 में (2004–05 के स्थिर मूल्यो पर) राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद 27.22 खरब रूपये रहा। गत 5 वर्षो में राजस्थान का सकल घरेलू उत्पाद 7.8 प्रतिशत की दर से बढ़ा है, जबकि वर्ष 2014–15 में प्रति व्यक्ति आय 33186 रूपये (2004–05 के स्थिर मूल्य पर) रही, जिसकी विकास दर 6.43 प्रतिशत रही। अग्रिम अनुमानों के अनुसार अगले दो तीन वर्षों में औद्योगिकीकरण एवं नीतिगत पहल के फलस्वरूप औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में योगदान 81 प्रतिशत से अधिक होने का अनुमान है। राज्य की अर्थव्यवस्था में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग एक महत्वपूर्ण स्तम्भ हैं। इनको प्रोत्साहन करने के लिए राज्य सरकार ने वर्ष 2015 में एमएसएमई नीति के साथ–साथ अन्य योजनाएँ भी जारी की हैं, ताकि इस क्षेत्र को अधिक बढ़ावा दिया जा सके। रिसर्जेंट राजस्थान समिट को ध्यान में रखकर राज्य सरकार द्वारा निवेश को आकर्षित करने के लिये निम्नलिखित कदम उठाए हैं, :–

- जयपुर और अजमेर में एमएसएमई (MSME Invenstment Facilitation Centre) स्थापित किया जाना है,
- सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करने के इच्छुक बेरोजगार युवाओं के लिए चरणबद्ध रूप से Livelihood business incubator की स्थापना की जानी है।
- प्रदेश के शिल्प का स्तर उन्नत करना तथा बाजार विकसित करना। वर्तमान में राजस्थान राज्य भारत की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिसका कारण बड़े, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग से अर्जित की गई आय है। वर्तमान में राज्य के बड़े उद्योगों ने लगभग 1.8 लाख व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किया है। मार्च, 2015 के आंकड़ो के अनुसार 1222 अरब रूपये की स्थायी पूँजी निवेश का सृजन भी हुआ है। जिसमें तीन बड़े जिले बाड़मेर, अलवर और चितौड़गढ़ अग्रिम है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग में मार्च 2015 तक लगभम साढ़े सात लाख व्यक्तियों का रोजगार तथा 1.73 अरब रूपए का निवेश हुआ है। ऐसी इकाईयाँ ऑटो संघटक, हस्त शिल्प, पोट्रेट, टेरा–कोटा, टैक्सटाईल आदि क्षेत्रों में सक्रिय हैं।

राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015

राजस्थान स्टार्टअप नीति का राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 9 अक्टूबर 2015 को शुभारम्भ किया। इस नीति का उद्देश्य राज्य को अग्रिम राज्यों की श्रेणी में लाना, तथा रिसर्जेंट राजस्थान नीति के अन्तर्गत राज्य को निवेश से निर्माण तक पहुँचाना है, जिसके उद्देश्य निम्नांकित हैं –

- नये उद्यमियों, स्टार्टअप और नवीन विचारों को प्रोत्साहित तथा मूर्त रूप देना,
- Centre for Innovation, Incubation and Entrtrepreneurship Initiative (CIIE) का सुचारू रूप से संचालन करना,

राजस्थान औद्योगिक परिदृश्य

1. वृहद उद्योग

2. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग

राजस्थान राज्य में आर्थिक निवेश को बढावा देने के लिए 19–20 नवम्बर 2015 को राज्य की राजधानी जयपुर में रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट का आयोजन किया गया। इस समिट के तहत देश विदेश से 295 एमओयू हुए जिसके अन्तर्गत लगने वाले उद्योगों से करीब ढाई लाख लोगों को रोजगार मिलने की संभावना हैं। इस समिट के अन्तर्गत देश विदेश से आए उद्यमियों के बीच विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में 3,21,199 करोड़ रूपए से भी अधिक निवेश होना है।

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट – एक दृष्टि में

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के दौरान राजस्थान सरकार तथा विदेश से आये उद्यमियों के बीच 3,21,199 करोड़ रूपये के 295 एमओयू हुए जिनके अन्तर्गत लगने वाले उद्योगों में करीब ढ़ाई लाख लोगों को रोजगार मिलेगा।

क्षेत्र	एमओयू सख्या	निवेश (करोड रू. में)	रोजगार
कृषि	10	2,402	5,317
शिक्षा	8	1,807	12,010
इन्फास्ट्रक्चर	35	17,760	46,975
मर्न्युफैक्चरिंग	40	11,760	56,698
पर्यटन	122	5,783	18,617
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	36	4,752	81,605
पैट्रोलियम और खान	25	77,657	18,472
सड़क और उच्च मार्ग	5	35,446	
ऊर्जा	9	1,90,000	
कौशल विकास	9		

स्त्रोत : रिसर्जेंट राजस्थान निवेश से नवनिर्माण – सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित 2015

रिसर्जेंट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के मुख्य बिन्दु निम्न हैं:–

■ राजस्थान सरकार और दक्षिणी आस्ट्रेलिया के बीच सिस्टर स्टेट रिलेशनशिप:– इसके अन्तर्गत राजस्थान में खानों के अधिकतम सदुपयोग और कम से कम वेस्टेज की विशेषज्ञता हासिल करना है, तथा नवीनतम तकनीक एवं प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहयोग मिल सकता है।

■ राजस्थान सरकार और मलेशिया के बीच एमओयू :– स्मार्ट सिटी, राजमार्ग, सड़क निर्माण एवं शहरी बुनियादी ढाँचे के विकास के लिए राज्य सरकार का मलेशिया के साथ 10 हजार करोड़ रूपये का एमओयू हुआ है।

■ राजस्थान सरकार और जापान के बीच एमओयू :– इसके अन्तर्गत 685 करोड़ रूपये राशि के चार एमओयू पर हस्ताक्षर किये गये। ये एमओयू ऑटोमोबाइल पार्टस, एयर कंडीशनर्स, वेयर हाउस, डिस्ट्रीव्यूशन सेंटर, एवं फैब्रिकेशन फैक्ट्री से संबंधित हैं।

■ राजस्थान सरकार और सिंगापुर के बीच एमओयू :– राजस्थान हाउसिंग बोर्ड और सिंगापुर कॉरपोरेशन एन्टरप्राईजेज के मध्य राज्य के जोधपुर, उदयपुर शहर के आर्किटेक्चर, मास्टर प्लान तथा अन्य क्षेत्रों के विकास के लिये एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए।

■ अन्य विशेष उपलब्धियाँ

■ फूड प्रोसेसिंग एंड मार्केटिंग में निवेश हेतु आह्वान,

■ ऑटो और ईएसडीएम (इलक्ट्रोनिक डिजाईन एंड मर्न्यूफैक्चरिंग) के अन्तर्गत वर्ष 2016 में 600 करोड़ रूपए का अतिरिक्त लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

■ मेक इन इंडिया :– इस नीति के अन्तर्गत राजस्थान सरकार कौशल विकास कार्यक्रम को गति देने के लिए 500 करोड रूपये से भी ज्यादा बजट उपलब्ध कराकर, तथा उत्पादकता में वृद्धि कर रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु प्रयास।

■ ट्रांसफोर्मिंग हैल्थकेयर डिलीवरी :– चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र में राज्य के सर्वाधिक आधारभूत ढाँचे को विकसित करने के लिए और गंभीर प्रयास किये जाएँगे। इसके अन्तर्गत राजस्थान में सबके लिए स्वास्थ्य बीमा प्रारम्भ करना तथा भामाशाह कार्ड धारियों को हैल्थ केयर से जोड़ने का भी प्रयास किया जाएगा।

■ ट्यूरिज्म फोर सस्टेनेबल डवलपमेंट :– पर्यटन द्वारा सस्टेनेबल विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा कृष्णा सर्किट योजना विकसित किया जाना प्रस्तावित है, इसके अन्तर्गत प्रथम चरण में द्वारिका–सांवलियाजी– नाथद्वारा–गोविन्ददेवजी आदि को जोड़ना है।

अभ्यास प्रश्न

1. बहुविकल्पात्मक प्रश्न

प्र. 1 पी.एम.के.वी.वाई. का पूर्ण अर्थ क्या है?
(अ) प्रधानमंत्री कामगार विकास योजना (ब) प्रधानमंत्री कार्मिक विकास योजना
(स) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (द) प्रधानमंत्री कल्याण विकास योजना

प्र. 2 भारत में 25 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों की संख्या लगभग कितनी हैं?
(अ) 16.5 करोड़ (ब) 36.5 करोड़
(स) 6.5 करोड़ (द) 60.5 करोड़

प्र. 3 "मेक इन इण्डिया" अभियान भारत को किस दिशा मे परिवर्तित करने की एक अहम पहल है?
(अ) विनिर्माण केन्द्र (ब) आयात केन्द्र
(स) निर्यात केन्द्र (द) संचार केन्द्र

प्र. 4 राष्ट्रीय कौशल विकास परिषद का अध्यक्ष होता है?
(अ) मानव संसाधन मंत्री (ब) वित्त मंत्री
(स) वाणिज्य मंत्री (द) प्रधानमंत्री

प्र. 5 कौशल नियोजन एवं उद्यमिता का आयुक्तालय कहाँ है ?
(अ) जयपुर (ब) जोधपुर
(स) बीकानेर (द) कोटा

प्र. 6 दस्तकार प्रशिक्षण की सुविधा कितने राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में स्वीकृत है?
(अ) 220 (ब) 223
(स) 233 (द) 254

2. अति लघू ारात्मक प्रश्न

प्र. 1. कौशल विकास से क्या आशय है ?
प्र. 2. स्किलिंग योजना के कोई दो बिन्दु लिखिए।
प्र. 3 एसएससी का पूरा नाम क्या है?
प्र. 4 बायो मेडिकल अकादमी से क्या आशय है?
प्र. 5. स्किल आइकॉन क्या है ?
प्र. 6. राज्य की अर्थव्यवस्था के तीन महत्वपूर्ण स्तम्भ क्या हैं ?
प्र. 7. राजस्थान स्टार्टअप नीति का शुभारम्भ किसने व कब किया ?
प्र. 8. उद्यमी से क्या आशय है ?

3. लघूतरात्मक प्रश्न

प्र. 1. संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :–
(अ) परिधान प्रशिक्षण एवं डिजाईन सेंटर (ब.) विशेष योग्यजनों हेतु योजना
प्र. 2. प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में बताइए।
प्र. 3. एसएससी के अन्तर्गत किये जाने वाले कार्यो का वर्णन कीजिए।
प्र. 4. राजस्थान स्टार्टअप नीति 2015 के उद्देश्य लिखिए।
प्र. 5. रिसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के मुख्य बिन्दुओं पर प्रकाश डालिए।
प्र. 6. मेंक इन इंडिया मिशन पर टिप्पणी लिखिए।

4. निबन्धात्मक प्रश्न

प्र. 1. राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा प्रशिक्षण के क्षेत्र में विशेष पहल के अन्तर्गत समायोजित योजनाओं का वर्णन कीजिए।
प्र. 2. राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद् का गठन कब किया गया, तथा इसके मुख्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए।
प्र. 3. राष्ट्रीय कौशल विकास निगम के विजन, मिशन एवं उद्देश्य का संक्षिप्त वर्णन कीजिए।
प्र. 4. राजस्थान सरकार द्वारा चलायी जा रही कौशल विकास की प्रमुख योजनाओं के नाम बताइए।
प्र. 5. रिसर्जेण्ट राजस्थान पार्टनरशिप समिट के दौरान राजस्थान सरकार तथा विदेशो से आये उद्यमियों के बीच किस प्रकार के एमओयू हुए।
प्र. 6. राष्ट्रीय कौशल अर्हता रूपरेखा क्या है ?इसकी आवश्यकता को समझाइए।